परियोजना का नामः— जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बोहाला से नन्दीगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रतिवेदन

जिला योजना 2011—12 के अन्तर्गत जिला अधिकारी, बागेश्वर के आदेश संख्या 1499 / जिला योजना / 2011—12 दिनांक 22.10.2011 द्वारा जनपद बागेश्वर में बोहाला से नन्दीगांव तक मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि.मी. के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के लिए रू0 0.50 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। वन भूमि स्वीकृति उपरान्त शासन द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृति की जायेगी। (शासनादेश की प्रमाणित् फोटो प्रति संलग्न है।)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनु.सार ग्राम नन्दीगांव की आवादी 242 एवं बौड़ी की आवादी 442 कुल आवादी 684 है तथा ये ग्राम अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़े है। भारत सरकार द्वारा 250 एवं उससे अधिक आवादी के ग्रामों को मोटर मार्ग से जोड़ने की योजना चलायी गयी है जिसके क्रम में यह मोटर मार्ग स्वीकृत किया गया है। दूरस्थ क्षेत्र में होने एवं यातायात की सुविधा न होने से अधिकारी / कर्मचारी तैनाती पर नहीं जाना चाहते हैं जिससे पर्वतीय क्षेत्र में मुख्यरूप से शिक्षा एवं चिकित्सा की सुविधा से क्षेत्रवासियों को बंचित रहना पड़ता है। कास्तकारों को उनकी उपज का उचित मूल्य न मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और कृषि क्षेत्र घटता जा रहा है। युवाओं का रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से नये रोजगार के अवसरों के साथ ही चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा। मोटर मार्ग का निर्माण Vertical cutting कर किया जाना है अत' Horizontal width 7 मीटर रखते हुए भूमि अधिगृहण प्रस्तावित किया गया है। संरेखण में राज्य सरकार की श्रेणी 9 (3) ग, ड. एवं श्रेणी 10(4) की भूमि आ रही है जिसमें वन अधिनियम के प्राविधान लागू नहीं होते हैं परन्तु स्थल पर वृक्ष होने के कारण भारत सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना 7 मीटर चौड़ाई में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों के अनुसार की गयी है। प्रभावित होने वाली वन भूमि न्यूनतम एवं अपरिहार्य है। संरेखण में आरक्षित वन भूमि एवं बांज वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग—अलग रंग से दर्शाया गया है। डिजिटल एवं गगुल मैप में भी प्रस्तावित स्वीकृत संरेखण को दर्शा कर इन्डैक्स मानचित्र के साथ प्रस्ताव में लगाये गये हैं।

संरेखण संख्या 1 जो लाल रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण कठपुड़ियाछीना सेराघाट मोटर मार्ग के कि.मी. 5 में बोहाला नामक स्थान से हिल साईड की ओर प्रस्तावित किया गया है। इसके अनुसार संरेखण में सिविल सोयम एवं नाप भूमि आ रही है जिसमें वृक्ष कम प्रभावित होते है और सभी गांव लाभान्वित होते हैं। मानकों के अनुसार ग्रेड मिलता है एवं ग्रामवासी भी सहमत है।

संरेखण नं0 2 जो हरे रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का संरेखण उक्त मार्ग के कि.मी. 5 से ही रखा गया है जिसमें अधिकांश संरेखण सिविल सोयम एवं वन पंचायत भूमि से जाता है। इसमें बैन्ड आने के कारण अधिक कृषि भूमि प्रभावित होती है। मानकों के अनुसार ग्रेड नहीं मिलता है। इसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रामवासी सहमत नहीं है।

इन दोनों संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा **संरेखण नं. 1** को मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनिकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। अतः 5.00 कि.मी. लम्बाई में प्रभावित होने वाली 1.442 हैक्टेयर वन भूमि गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन कर लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने एवं 86 चीड़ वृक्षों के पातन की स्वीकृति हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित् किया जा रहा है। भविष्य में इस मार्ग के निर्माण हेतु और वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर 30/3/15